2026:RJ-JP:16564

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 1012/2026

1. Anuj Singh Chauhan S/o Harpal Singh, Aged About 44 Years, Resident Of House Number 341/26, Sabji Mandi Wali Gali, Ramganj District Ajmer(Rajasthan
2. Vinod Kumar S/o Kailshiram, Aged About 38 Years, Resident Of Sundaram Society, Flat Number 103, Kishangarh Police Station Madanganj District Ajmer
3. Munna Mohmmad S/o Bashir Mohammad, Aged About 30 Years, Resident Of Jama Maszid Ke Piche, Vyapari Mohlla Madangaj Kishangarh Police Station Madnaganj District Ajmer
4. Rais Ahmad @ Rocky S/o Chhotu Mohmmad, Aged About 23 Years, Resident Of Sadar Gali Ward Number 8, Deshwali Mohlla, Police Station Gandhinagar District Ajmer (Rajasthan)

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor
2. Gourav Jain S/o Ashok Kumar Jain, Resident Of 67,68 Lic Colony Vaisali Nagar Ajmer (Rajasthan)

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Prakash Chand Thakuriya, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

20/04/2026

विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्तगण को सुना गया, अभिलेख का अवलोकन किया गया।

विद्वान अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–02, अजमेर द्वारा याची–अभियुक्तगण को जमानत सुविधा प्रदान करते समय अन्य शर्तों के साथ शर्त संख्या–05 निम्नानुसार अधिरोपित की गई है:–

''आदेश दिनांक से पांच दिवस के भीतर अभियुक्तगण हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बनंबरी आर. जे–01–सीडी–9763 को पुलिस थाना गेगल में स्वतः ही सुपुर्द कर इस संबंध में अपना अपना शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।''

विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्तगण का निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Petition for Special Leave to Appeal (Crl.) No. 6155/2026 Feroze Basha & Anr. Vs. State of Tamil Nadu में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार ऐसी शर्तें अधिरोपित की जाना उचित नहीं है, यह अभियुक्तगण के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

वाहन के जब्ती के संबंध में पुलिस कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है, लेकिन अभियुक्तगण द्वारा जप्तशुदा वाहन को स्वतः थाने में ले जाकर सुपुर्द किये जाने का आदेश विधिसम्मत नहीं है, अतः पारित आदेश दिनांक 08.12.2025 की शर्त संख्या–05 को अपास्त किया जाता है। शेष शर्तें व आदेश यथावत रहेगा।

उपरोक्तानुसार यह याचिका स्वीकार कर निस्तारित की जाती है तथा स्थगन आवेदन भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /20